उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यालय–ज्ञाप

पत्रांक H 80284/213/2017-22 दिनांक 26/8/22.

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एफ 77184/सी–2/सामान्य नोडल–347/2016 दिनांक 18.04.2016 एवं पत्र संख्या जी 29267/सी–4/सा0–62/2019 दिनांक 09.01.2019 के द्वारा विभिन्न उद्योगों एवं परियोजनाओं को उक्त से सम्भावित जल, वायु एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रदूषण की मात्रा के आधार पर लाल, नारंगी, हरी एवं सफेद श्रेणी के उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है।

एतद् द्वारा उक्त वर्गीकरण में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर अधिकतम् 20,000 वर्गमीटर बिल्टअप एरिया में निर्मित तथा 10 किली0/दिन तक उत्प्रवाह जनित करने एवं अधिकतम् 50 के0वी0ए0 क्षमता के एकल (stand alone) डी0जी0 सेट युक्त वेयरहाउस एण्ड लाजिस्टिक्स परियोजनाओं को **"सफेद श्रेणी"** में निम्न प्रतिबन्ध के साथ सम्मिलित किया जाता है।

1. सफेद श्रेणी में चिन्हित वेयरहाउस एण्ड लाजिस्टिक्स परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग बन्धु की "निवेश मित्र" वेबसाइट (http://niveshmitra.up.nic.in) पर उपलब्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) आवेदन को विनियोजन के अनुरूप निर्धारित शुल्क के साथ आनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति) तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग बन्धु की "निवेश मित्र" वेबसाइट (http://niveshmitra.up.nic.in) पर उपलब्ध संयुक्त जल, वायु सहमति आवेदन पत्र में विनियोजन के अनुरूप प्रतिवर्ष हेतु निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त सहमति शुल्क के सापेक्ष की अवधि हेतु जल एवं वायु सहमति मानी जायेगी एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
2. समस्त डीजल जनेरेटिंग सेट्स पर समुचित क्षमता के एकास्टिक इनक्लोजर के साथ मानको के अनुरूप एक्जास्ट स्टैक/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जायेगी, जिससे डी0जी0 सेट्स से जनित ध्वनि/गैसीय उत्सर्जन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय–समय पर अधिसूचित निर्धारित मानकों के अनुरूप रहें।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी वायु गुणता प्रबंधन कमीशन द्वारा Retrofitted D.G. sets / (HSD/PNG) प्रयोगयुक्त डी0जी0 सेट्स को अनुमति के संबंध में समय–समय पर पारित आदेश लागू होंगे।
4. ताज ट्रेपेजियम जोन में आच्छादित डी0जी0 सेट्स के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी द्वारा समय–समय पर पारित आदेश लागू होंगे।
5. राज्य बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश प्रभावी होंगे।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. समस्त वृत्तों/अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड, मुख्यालय।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. वेब मास्टर, एवं गार्ड फाइल।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव